UPGK010023242026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,

(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोरखपुर।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–986/2026

कुलदीप पुत्र छट्टू पासवान, उम्र लगभग– 24 वर्ष, निवासी ग्राम– मोहनाग, थाना– कैम्पियरगंज, जिला– गोरखपुर। ..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या– 685/2025

धारा– 64(2),115(2),352,351(3) बी०एन०एस०

थाना– कैम्पियरगंज, जनपद– गोरखपुर।

1– आवेदक/अभियुक्त कुलदीप पासवान द्वारा उपरोक्त प्रकरण में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ **छट्टू** का शपथ पत्र संलग्न है। शपथ–पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि आवेदक का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2026 को मु०अ०सं० 685/2025, धारा 64(2),115(2),352, 351(3) बी०एन०एस० व धारा 67ए आई०टी० एक्ट में माननीय न्यायालय के वहां से खारिज हुआ था, जबकि दौरान विवेचना बाद में कोई साक्ष्य प्राप्त न होने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 67ए आई०टी० एक्ट विलोपन होकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जिस आधार पर आवेदक द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा रहा है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले की पीड़िता (Victim) की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी पीड़िता का नाम आया है, वहां उसे इस जमानत आदेश में मात्र "पीड़िता" शब्द से संबोधित किया गया है।

2– अभियोजन का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा (पीड़िता) के घर के बगल के कुलदीप का उसके घर आना–जाना था। कुलदीप, पीड़िता की अश्लील वीडियो रिकार्ड कर सोशल साईड पर अपलोड करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ पिछले चार वर्षों से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। दिनांक 03.11.2025 को पीड़िता के अश्लील वीडियो को कुलदीप द्वारा फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया। जब पीड़िता कुलदीप के घर पूछने गयी तो कुलदीप व उनकी पत्नी व उनकी बहन रचना तथा उनके पिता छट्टू के द्वारा उसके साथ मारपीट की धमकी दी गयी। वह किसी तरह जान बचाकर अपने घर गयी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसको फर्जी मुकदमे में गलत तौर पर फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि आवेदक और वादिनी मुकदमा का घर लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। पूर्व में दोनों का एक–दूसरे के घर आना–जाना था। वादिनी

एक शादीशुदा महिला तथा तीन बच्चों की मां है। घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व की बतायी जा रही है जबकि उस समय आवेदक की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वादिनी ने आवेदक को अपने प्रेमजाल में फंसाया, किन्तु आवेदक ने कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया। वादिनी द्वारा आवेदक को एक विश्वास के तहत कई बार धन उगाही किया जाता रहा। इसी दौरान 2023 में आवदेक की शादी हो गयी तथा शादी के बाद आवेदक ने वादिनी को धन देना बन्द कर दिया और बातचीत करना भी बन्द कर दिया, जिस पर खीझकर उसने आवेदक को गाली–गुप्ता दिया और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। दिनांक 3.11.2025 को जब आवेदक की पत्नी प्रिया शाम 4 बजे के लगभग टहलने गयी तो रास्ते में वादिनी अपने पति के साथ मिलकर आवेदक की पत्नी को रास्ते में घेरकर पटककर लात–मुक्का से मारी और उसकी सोने की अंगूठी, सोने की माला तथा मोबाईल जबरदस्ती वादिनी व उसके पति ने छीन लिया। वादिनी व उसके पति द्वारा मारने–पीटने के कारण आवेदक की पत्नी के पेट में चोट लगने से बच्चा भी खराब हो गया और प्रिया की तबियत खराब हो गयी। वादिनी मुकदमा द्वारा अश्लील वीडियो, फोटो फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर वायरल करने की बात कही गयी जबकि दौरान विवेचना ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला न वादिनी मुकमदा ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकी। पुलिस मेडिकोलीगल और जिला चिकत्सा अधिकारी मेडिकोलीगल दोनों द्वारा आंतरिक व बाहरी कोई इंजरी नहीं है। पीड़िता द्वारा तथा चिकित्साधिकारी द्वारा 4 वर्ष से प्रेम संबंध होना बताया गया है तथा वादिनी मुकदमा द्वारा अपने तहरीर, धारा 180 व 183 बी०एन०एस०एस० में बार–बार अपने कथन बदले गए हैं जो कि बेबुनियादी अविश्वसनीय और निराधार है तथा कोई भी फोटो, वीडियो वायरल होने का साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया, जिससे स्पष् है कि वादिनी मुकदमा द्वारा आवेदक को महज अपने लालच, स्वार्थ व द्वेषवश साजिशन फर्जी तौर पर फंसाया गया है। इस प्रकार आवेदक ने रेप जैसा कोई अपराध नहीं किया है। वादिनी द्वारा आवेदक की पत्नी को मारा–पीटा गया तथा जेवर, मोबाईल छीन लिया गया। आवेदक उस समय अपने रोजी–रोजगार पर था। वहां नहीं था न ही उसने कोई मारपीट किया। आवेदक लगभग चार महीने से निरपराध होकर भी जेल में है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4– सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा (पीड़िता) के साथ चार वर्षों से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट व गाली–गलौज दकर जान से मारने की धमकी भी दी गयी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त जमानत का हकदार नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा संबंधित केस डायरी का अवलोकन किया।

6– केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा पीड़िता के साथ चार वर्षों तक उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया तथा पीड़िता के साथ मारपीट कर गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़िता द्वारा केस डायरी में संलग्न अपने धारा 180 बी०एन०एस०एस० के बयान में बताया है कि कुलदीप उसे डराकर व धमकी देकर बराबर उससे संबंध बनाता रहा। उसके बाद लगभग एक साल से वह कुलदीप से बात करना बन्द कर दी थी, लेकिन कुलदीप जोर–

जबरदस्ती से उससे बात करना चाहता था। कुलदीप के पास उसका प्राईवेट वीडियो था। कुलदीप द्वारा उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी। उसके द्वारा 3 नवम्बर को उसका प्राइवेट वीडियो इंस्टा व फेसबुक पर वायरल कर दिया गया। उसके घर आकर कुलदीप की बहन रचना, गोलू तथा छठू उसको दिनांक 03.11.2025 सायं 6 बजे मारे–पीटे। फिर कुलदीप के साथ सभी लोगों ने गाली दिए और जानमाल की धमकी भी दिया। पीड़िता के धारा 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में बताया है कि "मैं शादीशुदा महिला हूं। लगभग 4 वर्ष पहले कुलदीप ने मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। उसने मेरी जानकारी के बिना मेरा वीडियो बना लिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह मेरे साथ बार–बार संबंध बनाता था। मैं समाज के डर से चुप रही। फिर मैंने उससे बात करना व उसकी बात मानना छोड़ दिया तो उसने मेरी वीडियो फेसबुक व इंस्टाग्राम पर डाल दिया। उसने मेरा फोन नंबर भी वायरल कर दिया था। जिस वजह से मेरे पास गन्दे–गन्दे फोन आते थे। आज से लगभग एक महीने पहले दोपहर में 12 से 1 बजे थाने पर गयी थी और शिकायत दर्ज करायी। इससे एक दिन पहले शाम को 6 बजे मैं कुलदीप के घर ओरहन लेकर गयी थी तो कुलदीप, छठू, रचना, गोलू ने मुझे भद्दी गालियां दी। रचना व गोलू ने मेरा पेटीकोट फाड़ दिया और यह धमकी देकर भगा दिया कि अगर थाने गयी तो तुम्हारे साथ और बुरा होगा।" उपरोक्त कथनों से आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग करने का तथ्य प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। जहां तक बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत चार साल से प्रेमसंबंध होने व पीड़िता की सहमति के तर्क का प्रश्न है, उस संबंध में जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के स्तर पर यह निर्धारित किया जाना कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति स्वैच्छिक थी या अभियुक्त द्वारा कारित तथ्यों की प्रवंचना का परिणाम थी, उचित नहीं है। इस तथ्य का निर्धारण विचारण के दौरान साक्ष्य के विस्तृत परिशीलन उपरान्त किया जाना न्यायसंगत होगा। प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता व प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार करते हुए न्यायालय की राय में आधार जमानत पर्याप्त नहीं हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **कुलदीप पासवान** द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या 685/2025, धारा–64(2),115(2),352,351(3) बी०एन०एस०, थाना– कैम्पियरगंज, जिला– गोरखपुर** के अभियोग में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 17.03.2026

(मनोज कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code– UP3835

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.03.17 16:48:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court